

सड़क पर बैठ कलेक्टर ने खरीदे मिट्टी के दीये



मिट्टी के दीयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की अपील

नवभारत न्यूज शुभोपुर, 19 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा दीपावली पर्व के पूर्व बाजार पहुंचे तथा जयसभ चौक स्थित मिट्टी के दीये बेचने वाले दुकानदारों से खरीददारी की। इस दौरान उन्होंने भी सड़क पर नीचे बैठकर मिट्टी के दीये खरीदे तथा माटीकला शिल्पियों से बातचीत की। उन्होंने दुकानदार महिला श्रीमती कल्याणी बाई एवं श्रीमती ललिता बाई से मिट्टी के दीपक खरीदे और व्यवसाय के संबंध में जानकारी ली।

साथ ही उन्होंने स्थानीय विक्रेताओं से सहपरिवार दीपावली पर्व को लेकर पूजन सामग्री एवं घर के लिए साज-सज्जा के सामानों की खरीदारी भी की। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने शहरवासियों से मिट्टी के दीयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर मिट्टी के दीपक रोशन करें। मिट्टी के दीपक न केवल पुरातन परम्पराओं तथा मान्यता के प्रतीक हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के दीयों के उपयोग से बचे, मिट्टी के दीपकों का उपयोग करने से प्लास्टिक के प्रदूषण को

कम करने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आदेश जारी किया गया था कि माटीकला क्षेत्र से जुड़े शिल्पियों, कारीगरों से किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं की जाये। जारी आदेश अनुसार मिट्टी के दीयों के उपयोग को प्रोत्साहन के उद्देश्य से शुभोपुर जिला अंतर्गत दीपावली एवं अन्य पारम्परिक त्यौहारों पर माटीकला क्षेत्र से जुड़े शिल्पियों, कारीगरों को नगरीय निकायों, ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में माटी के उत्पादों के विक्रय हेतु उचित स्थान



उपलब्ध कराया जाये तथा शिल्पियों से किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं की जाये।

कलेक्टर ने जिलेवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं



शुभोपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने जिलेवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कलेक्टर ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। यह पर्व केवल घर-आँगन को सजाने का नहीं, बल्कि हृदयों को प्रेम, दया और सदाचार की ज्योति से आलोकित करने का अवसर भी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सभी से अपील की कि दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए, परंतु सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रहित दीपावली मनाने पर जोर दिया। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कहा कि मिल-जुलकर भाईचारे, सद्भाव और सहयोग के साथ पर्व मनाकर हम अपने जिले में विकास, शांति और समृद्धि की नई रोशनी फैला सकते हैं।

बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाएगा धरती संगठन

जिला प्रशासन से मांगा सहयोग

नवभारत न्यूज शुभोपुर, 18 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुभोपुर जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा व बाल विवाह के खतरे के लिए काम कर रहे नागरिक समाज संगठन धरती ने जिलाधिकारी श्री वर्मा जी को सौंपे गए एक ज्ञापन में जिले में दिवाली से 26 जनवरी तक बाल विवाह के खिलाफ एक सघन और व्यापक अभियान चलाने में सहयोग मांगा। ज्ञापन में कहा गया कि कि केंद्र सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के लगभग एक साल पूरे होने जा रहे हैं और जिला प्रशासन के नेतृत्व में शुभोपुर जिले में इसे मिली सफलताओं को और गति देने के लिए इस विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस की जा रही है। धरती संगठन ने कहा कि जिले में अब भी बाल विवाह की समस्या मौजूद है और इसी के मद्देनजर दीपावली से लेकर 26 जनवरी तक जिले में बाल विवाह के खिलाफ एक व्यापक और सघन अभियान में जिला प्रशासन का सहयोग मांगा गया है। धरती संगठन ने बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश के

450 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का सहयोगी है। धरती संगठन के निदेशक देवेन्द्र भदोरिया ने कहा, हमारा मानना है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण कानून पर सख्ती से अमल है और इसी के तर्जों में लोगों की सोच में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि सरकार व समाज एकजुट होकर प्रयास करें तो बाल विवाह की रोकथाम संभव है। इस अभियान में अग्रिम मोर्चे पर खड़े अकेले जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ने ही पिछले दो सालों में सरकार, पुलिस व प्रशासन सहयोग से देश भर में लगभग चार लाख बाल विवाह रोकें और रुकवाए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिला प्रशासन एक संकुलर जारी कर विवाह संपन्न करने वाले पुरोहित वर्ग जैसे पंडित, मौलवी और पादरी के अलावा इसमें सेवारत देने वाले अन्य लोगों जैसे बंडे वाले, मैरेज हाल वाले और

कैटरर्स आदि को स्पष्ट हिदायत दे कि बाल विवाह में किसी भी तरह की मदद गैरकानूनी है और इसके लिए उन पर कार्रवाई हो सकती है। ज्ञापन में उन पंचायतों जहां पिछले साल भर में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है, को पहचान में जिला प्रशासन से सहयोग का अनुरोध किया गया ताकि उन्हें अगले साल बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया जा सके। इसके अलावा, जिन पंचायतों से बाल विवाह की खबरें मिली हैं, वहां जागरूकता अभियान चलाए जाएं। साथ ही, मांग की गई कि जिला प्रशासन एक संकुलर जारी कर हिदायत दे कि बाल विवाह में किसी भी तरह का सहयोग करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवेन्द्र भदोरिया ने पिछले एक साल में बाल विवाह की रोकथाम के मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार, जिला प्रशासन व पुलिस से मिले सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त शुभोपुर का सपना जल्द ही वास्तविकता में तब्दील होगा और 26 जनवरी तक चलने वाला यह अभियान बाल विवाह के खतरे की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

धरती ग्रामोत्थान संस्था जिला शुभोपुर की ओर से संभाग समन्वयक भीकम तोमर तथा जिला समन्वयक श्रीमति नीता गौतम के द्वारा डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, महिला बाल विकास अधिकारी डीपीओ महेंद्र कुमार अंब, सहायक असिस्टेंट रिशु सुमन, को आवेदन दे कर प्रेस नोट जारी करने की बात कही गई।

बंदियों को बहन करेगी टीका, खुली मुलाकात 23 को

शुभोपुर। दीपावली की भाईदूज के अवसर पर जिला जेल शुभोपुर में बंदियों को तिलक लगाने आने वाली बहनों के लिए खुली मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया गया है। अधीक्षक जिला जेल शुभोपुर प्रभात कुमार ने बताया कि जेल में निरूद्ध बंदियों को दीपावली की भाईदूज 23 अक्टूबर के अवसर पर बहनों द्वारा टीका करने के लिए खुली मुलाकात का आयोजन सुबह 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक किया जाएगा। जेल नियमों के अनुसार मोबाइल, रूपये, पर्स तथा मादक पदार्थ आदि प्रतिबंधित रहेंगे, अतः इस प्रकार की कोई भी सामग्री लेकर न आएं।



पार्क में लगी खुली जिम, बच्चों व बुजुर्गों के लिए फिटनेस का अनोखा तोहफा

पोहरी 19 अक्टूबर. नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 स्थित ब्लॉक कॉलोनी पार्क में अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फिटनेस का बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो गई है। नगर परिषद की ओर से यहां खुली जिम स्थापित की गई है, जिसमें तरह-तरह के व्यायाम उपकरण लगाए गए हैं। जिम में सुबह-शाम नगरवासियों अपनी

दिनचर्या के साथ स्वास्थ्य व फिटनेस का आनंद ले सकेंगे। वार्ड के निवासियों ने बताया कि अब सुबह और शाम पार्क में रौनक रहती है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी व्यायाम उपकरणों का आनंद ले रहे हैं। यह पार्क अब केवल सैर का नहीं, बल्कि फिटनेस और सामाजिक मेल-जोल का केंद्र बन गया है।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर प्रशासन की सख्त निगरानी

शिवपुरी-आगामी दीपावली एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न कस्बों में खाद्य प्रसिधियों का निरीक्षण कर नमूने संकलित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह जिला अभिहित अधिकारी (खाद्य) डॉ. संजय ऋषीश्वर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है।

दीपावली पर भाईदूज के अवसर पर बंदियों की खुली मुलाकात के लिए निर्देश जारी

शिवपुरी 19 अक्टूबर. दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में भाईदूज के दिन सर्किल जेल शिवपुरी एवं अधीनस्थ जेलों में निरूद्ध बंदियों की अपने परिजनों से मुलाकात सकिल जेल में 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा भाईदूज का पर्व

की विशेष व्यवस्था की गई है। जेल अधीक्षक सकिल जेल शिवपुरी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 23 अक्टूबर को जिले की समस्त जेलों सकिल जेल शिवपुरी, जिला जेल गुना, अशोकनगर, शुभोपुर एवं सब जेल पोहरी, कोलारस, पिछौर, करैरा और चांचौड़ा में बंदियों की खुली मुलाकात कराई जाएगी। सकिल जेल अधीक्षक रमेशचंद्र आर्य ने



ज्ञानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष अवसर पर भाई-बहन के पवित्र संबंध को सहेजने हेतु बंदियों से मिलने उनके परिजनों को सीमित व नियंत्रित व्यवस्था में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरुष बंदियों से केवल उनके परिवार की महिला सदस्य एवं 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक बंदी से मुलाकात का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है तथा मुलाकात का समय प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। जेल अधीक्षक रमेशचंद्र आर्य ने अपील की है कि जेल में खुली मुलाकात के संदर्भ में सभी

परिजन निर्धारित नियमों का पालन करते हुए भाईदूज पर्व को अनुशासित, शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लासपूर्ण बनाएं। जेल प्रशासन द्वारा यह दिशा-निर्देश बंदियों के परिजनों की सुविधा एवं पर्व के सुचारु संचालन के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। पहरान पत्र के साथ होगी मुलाकात- जेल प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रवेश के समय सभी मुलाकाती परिजनों को पहचान हेतु किसी एक वैध पहरान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या पैन कार्ड साथ लाना अनिवार्य रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पर्स, मोबाइल, नकदी या अन्य कीमती सामान लेकर जेल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही

मुलाकात के दौरान केवल 250 ग्राम तक मिठाई, गजक या सोनपपड़ी ले जाई जा सकेगी। अन्य किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ भीतर ले जाना वर्जित रहेगा। जेल प्रबंधन उपलब्ध कराएगी पूजा की थाली व अन्य सामग्री- जेल प्रशासन द्वारा सभी बहनों के लिए पूजा थाल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चारवल आदि सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुलाकात के दौरान सभी परिजनों से अनुशासन एवं सहयोग की अपेक्षा की गई है। नगद राशि बंदियों को देना सख्त वर्जित किया गया है, ऐसा करने पर मुलाकात प्रतिबंधित की जाएगी तथा बंदी के विरुद्ध जेल अपराध दर्ज किया जाएगा।

वत्स गोत्रीय कनोजिया समाज की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

मेहगांव 19 अक्टूबर. धनतरेस के अवसर पर वत्स गोत्रीय कनोजिया समाज (त्रिपाठी/तिवारी) की डॉ. मधुरेश त्रिपाठी के अंदर रोड भिंड निवास पर कनोजिया सभा की जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे ब्रजकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में कनोजिया समाज के लोग निवास कर रहे हैं, सालभर में कई बैठकों का आयोजन किया जाता रहता है, लेकिन आज की मीटिंग अतिमहत्वपूर्ण है, क्योंकि लम्बे समय बाद कनोजिया सभा की



जिला कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन किया गया है। विनोद त्रिपाठी (रिटा. पूर्व प्राचार्य जनता इंटर कॉलेज भिंड) ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी में सभी पदाधिकारी ऊर्जावान हैं और निश्चित तौर पर समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। राकेश त्रिपाठी (रिटा. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी) ने कहा कि

कनोजिया समाज एकता की भावना से हमेशा से ही सभी समाजों के हित में कार्य करता रहा है और आगे भी समाजहित में काम करता रहेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. मधुरेश त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे हर संभव प्रयास से ईमानदारी से कार्य कर समाज को

मजबूती के लिए काम करेंगे। अन्य वक्तों में भी बैठक को संबोधित किया। नवगठित जिला कार्यकारिणी में अध्यक्ष डॉ. मधुरेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष प्रमोद त्रिपाठी, सचिव दीपचंद तिवारी एडवोकेट, कानूनी सलाहकार अजय त्रिपाठी एडवोकेट, मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी (पत्रकार) को नियुक्त किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से सत्यनारायण त्रिपाठी, श्यामबहादुर त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी कुक्कू, सुनील त्रिपाठी प्रोफेसर, कमलेश त्रिपाठी जारी, संतोष त्रिपाठी फूफ, राजेश त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, संतोष त्रिपाठी भोनपुरा, अरुण

त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी चच्चू, दीपेंद्र त्रिपाठी, सकिल तिवारी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी, नरेंद्र त्रिपाठी, डॉ. शशांक त्रिपाठी (सोनु), उमेश त्रिपाठी सत्यप्रकाश त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी, अशोक त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी एडवोकेट, नीरज त्रिपाठी शिवम, हरीश त्रिपाठी, राजकिशोर त्रिपाठी, अवधकिशोर त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी, राजू त्रिपाठी, दिलीप त्रिपाठी, चन्द्रप्रकाश त्रिपाठी, दयाशंकर त्रिपाठी, अरविंद्र त्रिपाठी, सतीश त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी, गोविंद त्रिपाठी, रामकिशोर त्रिपाठी, सौभाग्य त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी, सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे।

एक नजर में
सड़क दुर्घटना में पिकअप गाड़ी पलटने से हुई मौत
शुभोपुर। थाना देहात सड़क दुर्घटना फरि. पवन पुत्र नारायण बाथम उम्र 28 साल नि. गड्डा वाला मोहल्ला कम्पू लसकर गालियर ने रिपोर्ट की कि दि. 17.10.25 के 15.00 बजे स्थान ग्राम कलमी के आगे शुभोपुर करहाल रोड आरोपी नरेश बाथम नि. सदर ने अपनी पिकअप गाड़ी क्र. को तेजी व लापरवाही से चलाकर खल्ली (रोड के किनारे पलट दिया) जिससे गाड़ी में बैठे फरि. व आरोपी को घोंटे आई। दि. 18.10.25 के 13.14 बजे अप. क्र. 287/25 धारा 125 (ए), 281 बीएनएस कायम कर लिया है।

आरोपी ने घर में घुसकर की गाली-गलौच और मारपीट
शुभोपुर। थाना विजयपुर मारपीट फरि. मातादीन पुत्र जगदीश समाधिया उम्र 48 साल नि. वार्ड क्र. 06 शिवपुरी रोड विजयपुर ने रिपोर्ट की कि दि. 18.10.25 के 08.00 से 08.15 बजे स्थान फरि. का घर अस्पताल के पास विजयपुर आरोपी विकास उर्फगोपुत्र संजय समाधिया हवलदार गली विजयपुर ने फरि को घर में घुसकर बुरी-बुरी गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 18.10.25 के 09.23 बजे अप. क्र. 408/25 धारा 115(2), 296.351(3), 333 बीएनएस कायम कर लिया है।

लाईट की केवल की बात को लेकर मारपीट
शुभोपुर। थाना मगरधा मारपीट फरि. नरेश पुत्र लक्ष्मण गुर्जर उम्र 40 साल नि. गण नाड थाना मगरधा ने रिपोर्ट की कि दि. 18.10.25 के 10.00 बजे स्थान फरि. के घर के पास आम रास्ता ग्राम नाड आरोपीगण धर्मवीर, विकी, आदिराम जातिगण गुर्जर नि. गण सदर ने फरि को लाईट की केवल की बात को लेकर बुरी-बुरी गालियां देकर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। दि. 18.10.25 के 14.21 बजे अप. क्र. 18/25 धारा 115(2), 296.351(3), (3), (5) बीएनएस कायम कर लिया है।

आपसी विवाद में दो लोगों ने सरसों की फसल नष्ट कर दी
शुभोपुर। थाना देहात गाली गलौच फरि रामअवतार पुत्र छोटालु सुमन उम्र 33 साल नि. जलालपुरा झोपड़ी ने रिपोर्ट की कि दि. 18.10.25 के 15.00 बजे स्थान फरि का खेत आरोपीगण हनुमान सुमन, हरिमोहन सुमन नि. गण सदर ने फरि की 01 बीघा सरसों की फसल जोतकर नष्ट कर दिया जिसमें 2000/- रु. का नुकसान हुआ एवं गन्दी- गन्दी गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। दि. 18.10.25 के 17.56 बजे अप. क्र. 288/25 धारा 324(2), 296.351(2), 3(5) बीएनएस कायम कर लिया है।

विस्फोटक पदार्थ बेचते एक पकड़ा
शुभोपुर। थाना बडौदा विस्फोटक पदार्थ पकड़ा - आरोपी दिनेश पुत्र रामचन्द्र शिवरुहे उम्र 43 साल नि. वार्ड क्र. 05 को दि. 18.10.25 के 13.12 बजे स्थान आरोपी की दुकान आरोपी अपनी दुकान पर बिना साईसैन्स के पटाखे बेचते मिला कीमती 6000/- रु.। दि. 18.10.25 के 18.13 बजे अप. क्र. 279/25 धारा 9 (ख) (1) (ख) विस्फोटक अधि. 1884 कायम कर लिया है।

8 लीटर अवैध शराब जप्त
शुभोपुर। थाना करहाल अवैध शराब पकड़ी आरोपी जलिया पुत्र बलसिंह भील नि. चकबरीदा को दि. 18.10.25 के 17.15 बजे स्थान मॉडल स्कूल के पीछे कच्चे से हा.भ. की बनी कच्ची शराब 08 ली. कीमती 800/- रु. की जप्त की। दि. 18.10.25 के 18.19 बजे अप. क्र. 180/25 धारा 34 आब. एक्ट कायम कर लिया है।



ग्रामीण बैंक समाज सेवा समिति ने दीपावली के अवसर पर नवीन वस्त्र साड़ियों एवं मिठाई का किया वितरण

शिवपुरी-ग्रामीण बैंक समाज सेवा समिति शिवपुरी द्वारा दीपावली के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निराश्रित एवं वृद्ध महिलाओं को नवीन वस्त्र साड़ी एवं मिष्ठान वितरण किया गया। आयोजन समिति के कार्यालय दत्तोपंत टोपाड़ी भवन विकास नंद कोलोनी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वर्तमान स्प्रिचुअल फाउंडेशन के संस्थापक गुरुजी रघुवीर सिंह गौर उपस्थित थे। आयोजन में उपस्थित महिलाओं में काफी उत्साह एवं प्रशंसा का भाव दिख रहा था, आयोजन में ग्रामीण बैंक स्टाफ एवं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की सहभागिता एवं सहयोग रहा। इस अवसर पर रघुवीर सिंह गौर द्वारा अपने उद्बोधन में ग्रामीण बैंक के कार्यों की सराहना करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की एवं कहा कि इससे अछूत पुण्य का कार्य कोई हो ही नहीं सकता, दिवाली के अवसर पर किसी को खुशियां प्रदान करना यह एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इस अवसर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह तोमर, दिलीप शर्मा, सतीश श्रीवास्तव, एम.एस. द्विवेदी व ग्रामीण बैंक के एस.के.एस.चौहान, नीरज अग्रवाल, मनीराम रावत, अनिल त्रिपाठी, अतुल प्रताप सिंह, कपिल गुप्ता, धीरज नागले, राजीव श्रीवास्तव एवं देवेन्द्र रावत उपस्थित रहे।

बैराड़ पुलिस द्वारा अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब 60 लीटर जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार



शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अवैध शराब एवं अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध जीरो टोलेस अपना ने के निर्देश दिये गये थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले व एसडीओपी महोदय पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन में रविवार दोपहर थाना बैराड़ प्रभारी सुरेश शर्मा को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सूरी की पुलिस के पास बैराड़ के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की कच्ची शराब रखे हुये तथा विक्री करने के लिये कहीं ले जाने वाला है। मुखबिर सूचना की तर्दीक हेतु पुलिस बल को भेजा गया तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर दो केनों को छोड़कर भगाने लगा जिसे पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ा तो आरोपी दीवान सिंह कुशवाहा पुत्र रामसिंह कुशवाहा उम्र 27 साल निवासी टांगोसा थाना बैराड़ निकला, जिसकी तलाशी लेने पर आरोपी के कच्चे से दो प्लास्टिक की केनों में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब 60 लीटर कीमती 12000 रुपये की बरामद हुई।